अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2019-हिं.अ. दिनांक: 04.02.2020

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 16.12.2019 को हुई चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की पुनगर्ठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 16.12.2019 को सायं 03.00 बजे, डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में आयोजित हुई चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संस्थान के सभी संबद्ध विभागों/अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना हिंदी अनुभाग को भी दी जाए।

यह कार्यवृत्त निदेशक महोदय, एम्स नई दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

04.02.2020

(प्रेम सिंह तोमर)

वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं

सदस्य-सचिव

वितरण:

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यगण।
2. सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र।
3. उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा)।
4. सहायक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा अनुभाग
5. वरिष्ठ भंडार अधिकारी, भंडार अनुभाग (नि.का.)
6. वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी/प्रशासन अधिकारी, स्थापना अनुभाग (नि.का.)/शैक्षिक अनुभाग/ विधि प्रकोष्ठ/समन्य प्रकोष्ठ।
7. प्रभारी अधिकारी, जनसंपर्क प्रभाग।

श्री संजय गुप्ता जी

प्रतिलिपि:

- निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
- उप-निदेशक(प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
- उप-सचिव एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11.
- उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, त्रिकुट-II, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-66.
- उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

श्री संजीव कुमार जी

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की पुनर्गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 16.12.2019 को आयोजित हुई चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में दिनांक 16.12.2019 को सायं 03.00 बजे पुनर्गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चतुर्थ बैठक प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों/विशेष आमंत्रित अधिकारीगण ने भाग लिया:-

1.	प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली-29	अध्यक्ष
2.	प्रो. वी.के. बहल, संकायाध्यक्ष (शैक्षिक),	उपाध्यक्ष
3.	प्रो. एस. दत्ता गुप्ता, संकायाध्यक्ष (परीक्षा),	सदस्य
4.	श्री शुभाशीष पण्डा, उप-निदेशक (प्रशासन)	सदस्य
5.	श्री नीरज कुमार शर्मा, वरिष्ठ वित्त सलाहकार	सदस्य
6.	श्री धीरेन्द्र वर्मा, उप-सचिव एवं राजभाषा अधिकारी	सदस्य
7.	डॉ. वी.के. बहल, आचार्य एवं प्रमुख हृद् वक्ष विज्ञान केन्द्र	सदस्य
8.	डॉ. एम.वी. पदमा श्रीवास्तव, आचार्य एवं प्रमुख तंत्रिका विज्ञान केन्द्र	सदस्य
9.	डॉ. जी.के.रथ, आचार्य एवं प्रमुख, डॉ.बी.आर.ए.सं.रो.कैं.अ. तथा अध्यक्ष, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर	सदस्य
10.	आचार्य एवं प्रमुख, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र के प्रतिनिधि:- डॉ. विजय प्रकाश माथुर, आचार्य	सदस्य
11.	आचार्य एवं प्रमुख, जे.पी.एन.ए.ट्रॉमा केन्द्र के प्रतिनिधि: डॉ. अमित लठवाल, अपर चिकित्सा अधीक्षक	सदस्य
12.	आचार्य एवं प्रमुख, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद के प्रतिनिधि:- डॉ. राकेश लाल, आचार्य	सदस्य

13.	आचार्य एवं अध्यक्ष, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र के प्रतिनिधि: डॉ. अनिल गोस्वामी, सह-आचार्य	सदस्य
14.	डॉ. संजीव लालवानी, कुल-सचिव, शैक्षिक अनुभाग	सदस्य
15.	डॉ. संजय कुमार आर्य, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (का.)	सदस्य
16.	श्री नरेन्द्र भाटिया, वित्त सलाहकार	सदस्य
17.	श्री एस.एन. रघुकुमार, उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा)	सदस्य
18.	मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रतिनिधि: श्री जहांगीर खान, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-I, बी.बी.दीक्षित पुस्तकालय	सदस्य
19.	डॉ. प्रवीण वशिष्ठ, आचार्य एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, डॉ.रा.प्र.केन्द्र	सदस्य
20.	प्रशासनिक अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, मुख्य अस्पताल के प्रतिनिधि:- श्री बलराम, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य
21.	श्री प्रकाश गिरि, लेखा अधिकारी, एम.एस.यू. एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, वित्त प्रभाग	सदस्य
22.	कार्यकारी अभियंता (सिविल) एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, इंजीनियरी सेवा विभाग के प्रतिनिधि:- श्री सतबीर कुमार, सहायक अभियंता	सदस्य
23.	वरिष्ठ भंडार अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, भंडार अनुभाग (नि.का.) के प्रतिनिधि:- श्री आर.पी.सिंह, सहायक भंडार अधिकारी	सदस्य
24.	श्री एस. नायर, प्रशासनिक अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी स्थापना अनुभाग (नि.का.)	सदस्य
25.	प्रशासनिक अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि: श्री कमल भट्ट, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य
26.	प्रशासनिक अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, शैक्षिक अनुभाग की प्रतिनिधि:- श्रीमती सरोज लाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य
27.	श्री मनोज कुमार सिंह, सहायक परीक्षा नियंत्रक एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, परीक्षा अनुभाग	सदस्य
28.	श्री भूप सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, अनुसंधान अनुभाग	सदस्य
29.	श्री योगेश कुमार शर्मा, एजुकेशनल मीडिया जनरलिस्ट एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, सीमेट	सदस्य
30.	प्रशासनिक अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, सामान्य अनुभाग के प्रतिनिधि:- श्री राजेश कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य

31.	श्री निखिल भटनागर, प्रशासनिक अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, संपदा अनुभाग	सदस्य
32.	श्रीमती रेणु भारद्वाज, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र तथा राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र, गाजियाबाद	सदस्य
33.	श्री कुमार पाल शर्मा, उप-निदेशक (कार्यान्वयन) उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली-I), राजभाषा विभाग	सदस्य
34.	श्री प्रेम सिंह तोमर, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी	सदस्य-सचिव
35.	श्री निखिल भटनागर, प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ	विशेष आमंत्रित
36.	श्री देव नाथ साह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, समन्वय प्रकोष्ठ	विशेष आमंत्रित
37.	श्री विपिन कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, एन.सी.आई., झज्जर	विशेष आमंत्रित

डॉ. यू. सिंह, आचार्य एवं अध्यक्ष, भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग, अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। अन्य सदस्यों की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

मद सं. 1 <u>पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि संबंधी।</u>

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की माननीय निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा यथावत पुष्टि की गई।

मद सं. 2 <u>संस्थान की वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट के हिंदी रूपांतरण संबंधी।</u>

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि वर्तमान में हिंदी अनुभाग में संस्थान की वर्ष 2018-19 वार्षिक रिपोर्ट के हिंदी रूपांतर संबंधी कार्य चल रहा है लेकिन स्थान की उचित व्यवस्था न होने के कारण हिंदी अनुवादकों को अलग-अलग स्थानों पर बिठाना पड़ रहा है जिस कारण उक्त कार्य को समय से पूर्व करने में बहुत कठिनाई आ रही है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी अवगत कराया कि संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी रूपांतर कार्य अगले तीन-चार दिनों में पूर्ण कर लिया जाएगा। इस विषय में बोलते हुए कुल सचिव महोदय ने अध्यक्ष महोदय को बताया कि इस वर्ष स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से संसद में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तारीख 31 दिसम्बर, 2019 है और उससे पहले ही यह कार्य पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।

उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 संबंधी हिंदी रूपांतर कार्य अविलम्ब पूर्ण किया जाए और इंजीनियरी सेवा विभाग द्वारा हिंदी अनुभाग हेतु स्थान की उचित व्यवस्था करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के उक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग/इंजीनियरी सेवा विभाग

मद सं. 3 <u>संस्थान में हिंदी अनुवादकों की स्थायी भर्ती करने संबंधी।</u>

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के 02 रिक्त पदों को नियमित रूप से भरा जाना अति आवश्यक है। वर्तमान में हिंदी-कैडर में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के 02 पद, 01 हिंदी अधिकारी, 01 वरिष्ठ हिंदी अनुवादक तथा 01 प्रकाशन सहायक (हिंदी) के पद सहित कुल 05 पद रिक्त हैं, जिनकी जगह पर 02 कनिष्ठ हिंदी अनुवादक आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत हैं। तथा शेष 02 पदों पर भी नियमित नियुक्ति होने तक आउटसोर्स आधार पर कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों की नियुक्ति की जानी अपेक्षित है। साथ-ही-साथ प्रकाशन सहायक (हिंदी) के रिक्त 01 पद तथा वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक के रिक्त 01 पद पर नियमित नियुक्ति होने तक आउटसोर्स आधार पर 02 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की तैनाती भी की जानी अपेक्षित है ताकि संस्थान तथा इसके सभी केंद्रों में भारत सरकार की राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर मुख्य प्रशासन अधिकारी महोदय द्वारा सूचित किया गया कि संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के 03 रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती कर दी गई है और तीनों अनुवादकों ने संस्थान में कार्यभार ग्रहण कर लिया है और शेष 02 रिक्त पदों को भरने संबंधी कार्रवाई भी शीघ्र आरम्भ की जा रही है।

उपर्युक्त के संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि

1. भर्ती अनुभाग द्वारा कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के रिक्त 02 पदों को नियमित आधार पर भरने हेतु शीघ्र उचित कार्रवाई की जाए।
2. हिंदी कैडर के शेष 02 पदों (हिंदी अधिकारी 01 पद, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक 01 पद) को नियमित आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने तक उनकी जगह आउटसोर्स आधार पर कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों की नियुक्ति की जाए।
3. हिंदी अनुभाग हेतु सृजित प्रकाशन सहायक (हिंदी) तथा वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक के रिक्त 02 पद के बदले आउटसोर्स आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर/कनिष्ठ/वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक की नियुक्ति की जाए।

अध्यक्ष महोदय ने समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ

मद सं. 4 तिमाही रिपोर्ट प्रेषितकर्ता केंद्रों/अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संस्थान के लिए हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जबकि संस्थान में दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के अनुसार हिंदी पत्राचार लगभग 64 प्रतिशत ही है।

समिति द्वारा सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि स्थापना अनुभाग (नि.का.) एवं भंडार अनुभाग (नि.का.) सहित तिमाही रिपोर्ट समीक्षाधीन सभी 08 अनुभागों/केंद्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दर्शाए गए पत्राचार आदि संबंधी आंकड़ों में और वृद्धि की जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - स्थापना अनुभाग (नि.का.)/ भण्डार अनुभाग (नि.का.)/ शैक्षिक अनुभाग/परीक्षा अनुभाग/कंप्यूटर सुविधा/जनसंपर्क प्रभाग/विधि प्रकोष्ठ/समन्वय प्रकोष्ठ

मद सं. 5 संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है। सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी सूचित किया कि वर्तमान में हिंदी टंकण प्रशिक्षण सत्र में संस्थान के 09 कर्मचारीगण हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और फरवरी, 2020 से प्रारंभ होने वाले हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण सत्र हेतु संस्थान के कर्मचारीगण से नामांकन मंगवाने हेतु दिनांक 12.12.2019 को एक परिपत्र भी जारी किया गया है।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुसार फरवरी 2020 से शुरू होने वाले हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण सत्र में भी संस्थान के कर्मचारियों का नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

मद सं. 6 संस्थान में रोगियों के ओ.पी.डी. कार्ड में रोगी विवरण द्विभाषी होने संबंधी।

इस विषय में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि संस्थान में रोगियों के ओ.पी.डी. कार्डों में रोगी विवरण पहले केवल अंग्रेजी में था जिसको द्विभाषी करने के दौरान अंग्रेजी ऊपर तथा

हिंदी नीचे कर दी गई थी। अब ओ.पी.डी. कार्डों में हिंदी ऊपर तथा अंग्रेजी नीचे कर दी गई है लेकिन ये कार्ड द्विभाषी रूप में संस्थान तथा इसके विभिन्न केन्द्रों की ओ.पी.डी. में जारी भी किए जा रहे हैं या नहीं, इसकी कोई सही सूचना कंप्यूटर सुविधा द्वारा प्रदान नहीं की गई है।

इस संदर्भ में उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा) द्वारा समिति को सूचित किया गया कि इस संबंध में अंतिम अनुमोदन हेतु फाइल चिकित्सा अधीक्षक महोदय के पास लंबित है और जैसे ही अनुमोदन प्राप्त होगा, वैसे ही सभी ओ.पी.डी. में इसे लागू कर दिया जाएगा। इस विषय में माननीय उप-निदेशक (प्रशासन) महोदय ने उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा) को निदेश दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय से संपर्क करके तत्संबंधी अनुमोदन प्राप्त करके इस कार्य को शीघ्रता से निपटाएं और ओ.पी.डी. कार्डों में रोगी संबंधी सूचना अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में छापी जाए और ऐसा करते समय नियमानुसार **हिंदी ऊपर, अंग्रेजी नीचे** अथवा **हिंदी पहले, अंग्रेजी बाद में** रखी जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा)

मद सं. 7 <u>संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी होने संबंधी।</u>

उपर्युक्त के संबंध में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निदेशानुसार संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी रूप में होनी चाहिए। इस विषय में पूछे जाने पर उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा) ने समिति को सूचित किया कि संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी रूप में है और जो भी सामग्री अपलोड होने हेतु कंप्यूटर सुविधा में आती है, उसे अनिवार्य रूप से केवल द्विभाषी रूप में ही वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है लेकिन वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाली स्थायी प्रकृति की विषय सामग्री को द्विभाषी रूप में अपलोड करने और संस्थान की वेबसाइट का हिंदी अनुवाद कार्य एंजेसी द्वारा प्रगति पर है और अनुवाद कार्य पूर्ण होने पर द्विभाषी रूप में सामग्री वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान की वेबसाइट को द्विभाषी रूप में अद्यतन रखा जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा)

मद सं. 8 <u>संस्थान में सभी रबड़ की मोहरे द्विभाषी होने संबंधी।</u>

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के नियमानुसार संस्थान में प्रयोग में लायी जाने वाली सभी रबड़ की मोहरें अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में होनी चाहिएं लेकिन संस्थान के अनेक विभागों/अनुभागों/केन्द्रों

में कुछ संकाय-सदस्यगण व अधिकारीगण द्वारा जो मोहरें प्रयोग में लायी जा रही हैं, वे अभी भी केवल अंग्रेजी में ही हैं जोकि राजभाषा विभाग द्वारा इस विषय में जारी नियमों का उल्लंघन है।

सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी सूचित किया कि इस संबंध में माननीय उप-सचिव एवं राजभाषा अधिकारी महोदय की ओर से एक परिपत्र भी जारी किया गया है और केवल अंग्रेजी में बनी मोहरों संबंधी यदि कोई सूचना हिंदी अनुभाग के संज्ञान में आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान में केवल द्विभाषी रबड़ की मोहरों का ही प्रयोग किया जाए तथा इस आशय का एक परिपत्र पुन: जारी किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग/सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र

मद सं. 9 <u>संस्थान में सभी पत्रशीर्ष/लैटर हैड द्विभाषी होने संबंधी।</u>

इस विषय के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के नियमानुसार संस्थान में संकाय-सदस्यों/अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले सभी पत्रशीर्ष/लैटर हैड अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में होने चाहिएं लेकिन संस्थान के कुछ विभागों/अनुभागों/केन्द्रों में संकाय-सदस्यगण व अधिकारीगण द्वारा जो पत्रशीर्ष/लैटर हैड अपने स्तर पर बनाकर प्रयोग में लाये जा रहे हैं, वे अभी भी केवल अंग्रेजी में ही हैं जोकि राजभाषा विभाग द्वारा इस विषय में जारी नियमों का उल्लंघन है।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस संदर्भ में कंप्यूटर सुविधा द्वारा पत्रशीर्ष/लैटर हैड संबंधी द्विभाषी रूप में एक टेम्पलेट बनाकर एम्स इंटरानेट पर उपलब्ध करवा दिया जाए ताकि संस्थान के संकाय-सदस्यगण व अधिकारीगण वहां से उस द्विभाषी टेम्पलेट को डाउनलोड करके केवल द्विभाषी पत्रशीर्ष/लैटर हैड का ही प्रयोग कर सकें।

अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - उप-निदेशक (कम्प्यूटर सुविधा)/सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र

मद सं. 10 <u>संस्थान में कंप्यूटरों में यूनिकोड (मंगल फोंट) का प्रयोग किए जाने संबंधी।</u>

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से संकायाध्यक्ष (परीक्षा) महोदय ने सदस्य-सचिव से जानना चाहा कि परीक्षा अनुभाग द्वारा अवर श्रेणी लिपिक/कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक की परीक्षा में हिंदी टंकण की कौशल परीक्षा हिंदी के किस फोंट में ली जानी चाहिए ताकि परीक्षा की सूचना देते समय ही उम्मीदवारों को सूचित कर दिया जाए क्योंकि बहुत से उम्मीदवार अलग-अलग फोंट में परीक्षा देते हैं।

उक्त विषय पर विचार-विमर्श के दौरान समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सदस्य सचिव द्वारा राजभाषा विभाग, कर्मचारी चयन आयोग आदि से संपर्क स्थापित करके इस विषय में जानकारी उपलब्ध करायी जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय पर अपनी सहमति प्रदान की।

कार्रवाई-हिंदी अनुभाग

मद सं. 11 <u>फाइलों में नेमी कार्यालय टिप्पणियां मुद्रित करने संबंधी।</u>

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से डॉ. एम.वी. पदमा, आचार्य एवं प्रमुख, तंत्रिका विज्ञान केन्द्र ने समिति को बताया कि उन्हें सरकारी कामकाज के दौरान फाइलों पर छोटी-छोटी टिप्पणियां हिंदी में लिखने में परेशानी आती है इसलिए ऐसी नेमी कार्यालय टिप्पणियां द्विभाषी रूप से मुद्रित होनी चाहिएं जोकि अधिकांशत: सरकारी कामकाज में प्रयोग में आती हैं।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के दौरान सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि फाइलों के अंदर पहले से ही ऐसी द्विभाषी कार्यालय टिप्पणियां मुद्रित की हुई हैं लेकिन जो नई फाइलें अब प्रयोग में आ रही हैं, उनमें ये नेमी कार्यालय टिप्पणियां मुद्रित नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर भंडार अनुभाग (नि.का.) के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि फाइलों का जो नया स्टॉक प्रिंट होकर आया है, उसमें ये टिप्पणियां मुद्रित नहीं हो पायी हैं और अगले स्टॉक में द्विभाषी रूप में नेमी कार्यालय टिप्पणियां फाइलों में मुद्रित करवा दी जाएंगी।

इस पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान तथा इसके सभी केन्द्रों में प्रयोग में आने वाली ऐसी फाइलों पर नेमी कार्यालय टिप्पणियां शीघ्र मुद्रित करवाकर प्रयोग में लायी जाएं। अध्यक्ष महोदय ने समिति के उक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई- वरिष्ठ भण्डार अधिकारी (नि.का.)/सभी केन्द्रों के भण्डार अधिकारीगण

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।